प्रेस नोट थाना रौजा

शाहजहाँपुर पुलिस

सराहनीय कार्य दिनांक 24-07-2026

दहेज उत्पीड़न से आत्महत्या प्रकरण में थाना रोजा पुलिस की त्वरित कार्यवाही, घटना का 24 घंटे के भीतर सफल अनावरण करते हुए पति व सास गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार में, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन में, क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना रौजा के नेतृत्व में चलाये जा रहे अभियान चिन्हित किये गये अपराधियों की गिरफ्तारी व तलाश वांछित/वारन्टी-जिलाबदर अपराधी व रोकथाम अवैध शराब-शस्त्र / अफीम चरस बिक्री-निर्माण एवं चैंकिग संदिग्ध व्यक्ति-वाहन/गश्त के क्रम में थाना रौजा पुलिस टीम को बड़ी सफलता हासिल हुई।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 23.07.2026 को थाना रोजा पर वादी श्री रामकुमार पुत्र स्व. रुपन लाल निवासी ग्राम भरौना, पोस्ट कुवरपुर वसीट, थाना पिहानी, जनपद हरदोई की लिखित तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 336/2026, धारा 85, 80(2) बीएनएस एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाम 1. अमित (पति) पुत्र राजाराम, 2. कृष्णपाल (जेठ) पुत्र राजाराम, 3. श्रीमती मुरता (जेठानी) पत्नी कृष्णपाल एवं 4. श्रीमती रामवती (सास) पत्नी राजाराम, समस्त निवासीगण ग्राम चरकुई सिसौआ, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। वादी द्वारा आरोप लगाया गया कि उसकी पुत्री मृतका क्षमता देवी उम्र लगभग 22 वर्ष को विवाह के उपरान्त अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर उपरोक्त अभियुक्तगण द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जाता था, जिससे क्षुब्ध होकर मृतका ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उक्त अभियोग की विवेचना क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा संपादित की जा रही है। घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए थाना रोजा पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर घटना का सफल अनावरण किया गया। इसी क्रम में आज दिनांक 24.07.2026 को थाना रोजा पुलिस टीम शांति व्यवस्था एवं संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के दौरान क्षेत्र में मौजूद थी। तभी मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त अमित एवं उसकी माता रामवती कहीं जाने की फिराक में सीतापुर हाईवे स्थित टेढ़ी पुलिया के पास खड़े हैं। प्राप्त सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुँचकर अभियुक्त 1. अमित पुत्र राजाराम, उम्र करीब 22 वर्ष तथा 2. श्रीमती रामवती पत्नी राजाराम, उम्र करीब 55 वर्ष, निवासीगण ग्राम चरकुई सिसौआ, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर को दिनांक 24.07.2026 को समय 14:50 बजे सीतापुर हाईवे स्थित टेढ़ी पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त गण का विवरणः-

1.अमित पुत्र राजाराम निवासी ग्राम चरकुई सिसौआ थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर।

2. श्रीमती रामवती पत्नी राजाराम निवासी ग्राम चरकुई सिसौआ थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर।

पंजीकृत अभियोग का विवरणः-

मु0अं0सं0 336/2026 धारा 80(2),85 बीएनएस व 3/4 दहेज अधि0 थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर।

गिरफ्तारी का दिनांक, समय व स्थानः

दिनांक 24-07-2026 को समय करीब 14.50 बजे, सीतापुर हाइवे स्थित टेढी पुलिया के पास

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-

1. थानाध्यक्ष श्री उमेश कुमार मिश्र, थाना रोजा, शाहजहाँपुर।
2. उ0नि0 श्री विनित कुमार, थाना रोजा, शाहजहाँपुर।
3. का0 विकास नागर थाना रोजा, शाहजहाँपुर।
4. रि0म0का0 भारती नैन,थाना रोजा,शाहजहाँपुर।